संख्या-169/ III (2)/06-19(बजट)/2006

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 22 जनवरी,2007

विषयः- वित्तीय वर्ष 2006-07 में एन.पी.वी., भूमि प्रतिकर के भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की प्रथम अनुपूरक मॉग में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-2227/III(2)/06-19 (बजट)/2006 दिनांक 3 अगस्त,2006 एवं संख्या- 224/III-2/06-06 (बजट)/2003 दिनांक 06 फरवरी, 2006 के सन्दर्भ में एवं वित्त अनुभाग-1 के पत्र सं0 1628(1)/XXVII (1)/2006 दिनांक 19 अक्टूबर , 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि के अधिग्रहण एवं भूमि प्रतिकर के भुगतान के लिये प्रथम अनुपूरक मॉग के अन्तर्गत रूपये 360542 हजार (रू0 छत्तीस करोड पॉच लाख लाख बयालीस हजार मात्र) की व्यवस्था की गई है। जिसमें सचिवालय विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित रू0 6,05,42,000.00 (रू0 छः करोड़, पांच लाख, बयालीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी शामिल है। शासनादेश सं0 संख्या-224/III-2/06-06 (बजट)/2003 दिनांक 06 फरवरी, 2006 द्वारा देहरादून में सचिवालय के विस्तारीकरण हेतु उत्तर की ओर भूमि का अधिग्रहण हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित धनराशि रू0 6,05,42,229.00 (रू0 छः करोड पॉच लाख बयालीस हजार दो सौ उन्नतीस मात्र) को समायोजित करते हुए प्रथम अनुपूरक मॉग में व्यवस्थित धनराशि रू0 360542 हजार में से रू0 60542 हजार (रू0 छः करोड पॉच लाख बयालीस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 30.00 करोड (रू0 तीस करोड मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- एन0पी0वी0 एवं भूमिप्रतिकर का भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान वर्षवार वरियता के आधार पर चालू कार्यो हेतु ही किया जायेगा। अर्थात सबसे पुरानी देयता का भुगतान सबसे पहले तथा उसके बाद के वर्ष का उसके बाद तथा इसी वर्ष की सड़कों का सबसे अन्त में किया जायेगा, तथा वरियता के आधार पर जैसे-2 देयताओं का भुगतान किया जायेगा उसकी सूचना शासन को मासिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। विभागाध्यक्ष के द्वारा उक्त देयों के भुगतान हेतु निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि से परिपक्व दावों का भुगतान अपने स्तर से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3- भूमिप्रतिकर भुगतान में मा0 न्यायालयों एवं विधायिका में आश्वस्त किये गये प्रकरणों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर प्रथम वरीयता में किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन.पी.वी. भुगतान हेतु वन विभाग को किया जाये।

5- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा क्रय की गई भूमि का शीघ्र विभाग के नाम हस्तान्तरण कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा ।

6- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो का या अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण साख सीमा के माध्यम से आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9– यदि धनराशि स्वीकृत करने के बाद भी पूर्व के वर्षों की देयता रहती है और धनराशि शासन को समर्पित की जाती है तो इस हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। अतः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग व दायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सारव परिव्यय के अधीन, स्थापित नियमों एवं प्रक्रिया के अधीन ही सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी परिपक्व खडे प्रस्तर–2 की वरियता के अनुसार तत्काल भुगतान सुनिश्चित करके इसका मासिक व्यय विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जाय।

10– इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सडको तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04–जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय–05 सडक/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0–16/XXVII(2)/07, दिनांक, 18 जनवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 169(1)/III(2)/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स माजरा, देहरादून ।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3– आयुक्त गढवाल/कुमायूं मंडल, पौडी/नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायूं क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।